याद दिलाने वाले भील आदिवासी वैक्षिक और आर्थिक वृष्टि से पिछड़ा जीवन विता रहे हैं ;

- (स) राजस्थान में इन भील-आदिवासियों की संख्या क्या है ;
- (ग) क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार ने उनके पिछड़ेपन के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है; और
- (घ) उनके उत्थान के लिये मरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) माधारण कृप से कहा जा मकता है कि अनुसू-चित आदिम जातिया जिनमें भील आदिवामी शामिल है, येष समाज की अपेक्षा शैक्षिक और आधिक कृप से अधिक पिछड़ी हुई है।

(ख) 9,06,705 (1961 की जन-गणना) ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अनुसूचित अहिम जातियों के, जिनमें भीन आदिवासी भी शामिल है, शैक्षिक और सामाजिक-अधिक विकास के लिये विभिन्त राज्य सरकारें योजनाएं चला रही हैं।

Distribution of Gifts received from U.S.A.

3751. SHRI BRIJ RAJ SINGH—KOTAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the criteria fixed by Government for the distribution of gift goods received by India from the United States of America?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN): The Hon'ble Member is presumably referring to the supplies received and distributed by private voluntary agencies in India. The voluntary agencies are required to distribute these supplies for approved programmes such as nutrition feeding programmes for school children and other

vulnerable sections of the population, agricultural and community works programmes, relief and rehabilitation programmes, on the basis of need and without reference to race, caste creed or religion of the recipients.

बिहार में आयकर तथा उत्पादन जुल्क की बकाया राशि

3752. श्री रामावतार शास्त्री : क्या विस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या बिहार में आयकर और उत्पादन-शुल्क की भारी राशि अभी वसूल की जानी शेष है;
- (स) यदि हां, तो वह राशि कितनी है ; और
- (ग) उक्त बकाया राशि को बसूल करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है तथा इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही आरम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है ?

बिस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (भी कें व्याद मन्त्री): (क) और (ख). 31-3-1971 की स्थित के अनुसार, बिहार में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की वसूल होने योग्य बकाया रकम 909.60 लाख रुपये है और बिहार के आयकर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आयकर की बकाया रकम 943.19 लाख रुपये है।

(ग) बकाया रकमों की शीघ्र वसूती के निये कानून-सम्मन और प्रत्येक मामले के तथ्यों नथा परिस्थितियों के अनुरूप उपाय किये जा रहे हैं।

बिहार में पर्यटन को प्रोत्साहन देने की योजना

3753, भी रामावतार सास्त्री : नया प्रबंदन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में